

सर्वोच्च,

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार,

संख्या- प्राविश/परिषद/सम्बद्धता/2023/12090001

संलग्नक- दिनांक- 12-09-2023

-सर्वोच्च आदेश-

राष्ट्रीय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं भारतीय काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघीय दिनांश स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान करने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमांक: दिनांक 24-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अधिकतम भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्यकारी काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा संघीयता को प्रदान अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2023-24 हेतु विन्यासिता शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उत्तरी अधिकतम प्रवेश आगत हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का नाम एवं आई आई आई : 1932-MAHARAJA AGRASEN COLLEGE OF PHARMACY			
क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	संस्था/संस्थान/संस्थान/पैदाश्री/संस्थान द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश संख्या	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश संख्या
1	B.PHARMACY	50	50

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुक्रम-2 उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 01/1/19-3022/9/2022 दिनांक-1 दिसंबर 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संघीयता सम्बन्धित संस्थाओं की ओर से विषय सम्बन्धीय व्यवसाय में अधिकांश प्राविधिक संस्था 02/02/2023 में भारतीय व्यवसाय के अधीन निर्णय के अधीन सम्बद्धता विस्तार की जाती है।
- ✓ उक्त अधिकतम भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्यकारी काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करने।
- ✓ अधिकतम भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्यकारी काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली के सम्बन्धित अनुक्रम संलग्नक में सम्बद्धता प्रदान (शुल्क, प्रवेश, बैंक प्रकल्प) अदि सम्बन्धित है।
- ✓ संस्था द्वारा प्रेषित प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमसूची 1982, संशोधनसूची-2022, संशोधन विनियमसूची-2018 तथा सम्बन्धित पर निर्णय आदेशों का अनुपालन करने तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा


 Director
 National Institute of Engineering & Technology
 Lucknow

